राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ1(1933)स्था/निकाशि/19/22 दिनांकः– 10-1-23

प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
लालसोट (दौसा)।

विषयः– **डॉ. मोहन लाल खटीक, सहायक आचार्य, संस्कृत द्वारा परिवीक्षाकाल संतोषप्रद रूप से पूर्ण कर लेने पर वेतन नियतन के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक 159 दिनांक 28.05.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. मोहन लाल खटीक, सहायक आचार्य, संस्कृत दिनांक 17.03.2011 को माध्यमिक शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुये। इसके उपरान्त वर्ष 2019–20 की डीपीसी उपरान्त दिनांक 01.04.2019 से प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा (लेवल–16) के पद पर पदौन्नत हुये। इस पदौन्नति पर इनके द्वारा दिनांक 26.10.2019 को प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्यग्रहण किया गया। इसके उपरान्त आर.पी.एस.सी. से चयनोपरान्त दिनांक 01.01.2020 को व्याख्याता कॉलेज शिक्षा के पद पर कार्यग्रहण किया गया। इनके परीवीक्षाकाल तथा उसके उपरान्त के वेतन के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त राय (आई.डी. संख्या 212200412 दिनांक 31.10.2022) के अनुसार निम्नानुसार वेतन निर्धारण किया जाना है :–

1. प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा के पद पर पदौन्नति दिनांक 01.04.2019 को व्याख्याता पद के अनुसार काल्पनिक वेतन – 57,700/–
2. कॉलेज व्याख्याता के पद पर परीविक्षा अवधि दिनांक 01.01.2020 को वेतन – 57,700/– और 01.07.2020 एवं 01.07.2021 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त क्रमशः वेतन 59,400/– तथा 61,200/–
3. परीविक्षा अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 01.01.2022 को वेतन – 61,200/– आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2022 होगी।

उक्त प्रकरण में वित्त विभाग की उपरोक्त राय अनुसार ही वेतन निर्धारिण किया जाना तथा अधिक वेतन भुगतान की स्थिति में वसूली किया जाना वांछनीय है साथ ही उक्त प्रकृति के समान प्रकरणों में अविलम्ब यहीं कार्यवाही किंया जाना अपेक्षित हैं। इस संबंध में डॉ. मोहन लाल खटीक, सह आचार्य, संस्कृत की मूल सेवापुस्तिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– मूल सेवा पुस्तिका।

09/01/2023
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक,(एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः– एफ1(1933)स्था/निकाशि/19/22 दिनांकः– 10-1-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. **प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय/समस्त विधि/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट/राजस्थान संगीत संस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकृति के साथ समान प्रकरणों में अविलम्ब अलग से सूचना सहित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उक्त प्रकृति का प्रकरण होने की स्थिति में वित्त विभाग की राय अनुसार अविलम्ब संशोधन कर विभाग को अवगत करावे।**
2. **वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।**
3. **रक्षित पत्रावली।**

09/01/2023
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक,(एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।